

FORM NO.111

फर्द अहकाम




(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

माला वगैरे बन्धन कालोड वगैरे

किरम मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 34/2022

तारीख हुण्ड	हुण्ड या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जत	यका न तारीख सकाम नो हुण्ड हुण्ड ही तारीख न जारी हुण्ड
09.09.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री कमल कुमार शर्मा एडो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वारते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर </p>	<p style="text-align: right;">20.09.2022 3.9.2022</p>
11.11.2022	<p>वकील डिक्रीदार के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब होकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। वकील डिक्रीदार ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना हेतु जारी तहरीर आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष समय पर पेश नहीं कर सके है। जिसके कारण इजराय में पुनः तहरीर आदेश जारी किये जाने का निवेदन वकील डिक्रीदार द्वारा किया गया है। वकील डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पुनः तहरीर आदेश जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>	
29.04.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या</p>	<p>  मिलाव (गमा) कारवाही पालना ज.सं. 1034 दि. 29.4.23 द्वारा की गयी। [Signature] पार </p>

माला खन्ना राजो. 5. 45

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म
जारी

इजराय

दि. - 34/2022

1034 दिनांक 29.04.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फ़ैसल की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकनील दाखिल दफ़तर हो।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)